बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 31 अक्टूबर, 2025

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त सामान्य, पुलिस एवं व्यय प्रेक्षकों के संबंध में।

भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत प्रदत्त पूर्ण अधिकारों के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहायता हेतु केंद्रीय प्रेक्षक नियुक्त करता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में प्रेक्षकों की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पर सघन निगरानी रहे और मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हो।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में स्वच्छ, पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु 243 सामान्य प्रेक्षक, 38 पुलिस प्रेक्षक एवं 67 व्यय प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रथम चरण के मतदान के लिये 121 सामान्य प्रेक्षक, 18 पुलिस प्रेक्षक एवं 33 व्यय प्रेक्षकों का आगमन हो चुका है जबकि दूसरे चरण के मतदान के लिये 122 सामान्य प्रेक्षक, 20 पुलिस प्रेक्षक एवं 34 व्यय प्रेक्षकों का राज्य में आगमन हो चुका है। सामान्य प्रेक्षकों द्वारा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन की संवीक्षा, ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का 'द्वितीय रैंडमाइजेशन चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के रैंडमाइजेशन, बूथों पर AMF (Assured Minimum Facilities) सुविधाओं की जांच आदि कार्यो का पर्यवेक्षण किया गया है। साथ ही पुलिस प्रेक्षक द्वारा जिले में विधि व्यवस्था संबंधित कार्यो का अनुश्रवण किया जा रहा है। सामान्य एवं पुलिस प्रेक्षक राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं के लिए सुलभ रहते हुए प्राप्त शिकायतों और सूचनाओं का त्वरित निराकरण कर रहे हैं। इसके साथ ही वे मतदान केंद्रों का दौरा कर आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए लागू की गई नवीन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित कर रहे हैं।

व्यय प्रेक्षक का आगमन चुनाव के नोटिफिकेशन के दिन ही हो जाता है। व्यय प्रेक्षक अपने संबंधित विधान सभा क्षेत्रों में निर्वाचन व्यय संबंधित व्यवस्थाओं जिसमें FST/SST/VT आदि टीमों का गठन, नाका/चेक पोस्ट आदि का कार्यन्वयन, प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से निगरानी और गहन जांच के कार्यो का पर्यवेक्षण कर रहे है। इसके साथ ही मतदाताओं को प्रलोभन देने हेतु नकद, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य वस्तुएं अथवा अन्य उपहारों के

वितरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की जा रही कार्रवाई एवं अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का सघन निगरानी कर रहे है।

आम मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी प्रेक्षक की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दिये गये लिंक https://www.eci.gov.in/observer/2025/S04/3 पर उपलब्ध है। इसके अलावा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह– जिला पदाधिकारी द्वारा भी अपने संबंधित जिले में प्रेक्षकों के आवासन, मोबाइल नम्बर तथा जन शिकायतों को सुनने के लिए उनकी समय की जानकारी समाचार पत्रों में भी निरंतर प्रकाशित की जा रही है।

****